

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0- 8डी0(बजट-आवंटन-2225) 09-57/2025- 272

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा0प्र0सेवा
निदेशक।

सेवा में,

अवर सचिव,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,
पटना।

पटना, दिनांक- 05/01/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय एवं निदेशालय के संधारणार्थ कुल ₹135.40 लाख (एक करोड़ पैतीस लाख चालीस हजार रु0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय एवं निदेशालय के स्थायी पदों के संधारणार्थ पूर्व में विभागयी आवंटनादेश संख्या-03 दिनांक 02.04.2025, आवंटनादेश संख्या-35 दिनांक 24.04.2025, आवंटनादेश संख्या-35 दिनांक 24.04.2025 एवं आवंटनादेश संख्या-164 दिनांक 25.08.2025 के द्वारा आवंटन दिया गया था। द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से कार्यलय व्यय, विधि प्रभार एवं प्रशिक्षण व्यय ईकाई गदों में कुल 120.75 लाख का बजट उपबंध प्राप्त हुआ है। लेखा शाखा के मांग के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वेतन ईकाई में ₹25.00 लाख, कार्यलय व्यय में ₹10.00 लाख, विधि प्रभार ईकाई में 0.40 लाख एवं प्रशिक्षण व्यय ईकाई में ₹100.00 लाख अर्थात् कुल ₹135.40 लाख (एक करोड़ पैतीस लाख चालीस हजार रु0) मात्र का अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2. आवंटित राशि का व्यय द्वितीय अनुपूरक के आगमन से वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-44 के मुख्य शीर्ष- मुख्य शीर्ष-2225-अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-001 निदेशन और प्रशासन-0001-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयाँ- 0001.0101-वेतन, 0001.1301-कार्यालय व्यय, 0001.1305-विधि प्रभार एवं 0001.2003-प्रशिक्षण व्यय मांग संख्या-44, विपत्र कोड संख्या 44-2225010010001 के उचित ईकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।

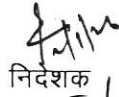
3- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

4- वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17/04/98 एवं 235/वि0 दिनांक 01.04.2025 तथा राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्रों के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है।

5- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पर होगी।

6- प्रत्येक माह व्यय विवरणी भेजी जाये।

विश्वासभाजन,


निदेशक

ज्ञापांक- 8डी0(बजट-आवंटन-2225) 09-57/2025 272 पटना,

दिनांक- 05/01/2026

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, सिंचाई भवन, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / उप निदेशक (मु0)/सचिव कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (मुख्यालय)/लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में)/वित्त विभाग, बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग, आई0टी0 मैनेजर/प्रशाखा पदा0 2डी0 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

Un-